न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–510/2023–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

दीपेश रतन तिड़ू..आवेदक/विक्रेता } प्रथम पक्ष

बली मुण्डा..क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार..द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
03.01.2024	**आदेश**	

आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती दीपेश रतन तिड़ू पिता/पति स्व0 बर्नाबास तिड़ू ग्राम–जिलिंगकेल, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:–

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
कुंजला	249	16	110	0.06

आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती दीपेश रतन तिड़ू पिता/पति स्व0 बर्नाबास तिड़ू ग्राम–जिलिंगकेल, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी को ईलाज कराने के हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती बली मुण्डा पिता/पति स्व0 गोको मुण्डा ग्राम–जिलिंगकेल, पो0–मैको, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी को बिक्री करना चाहते/चाहती है।

आवेदक/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान तथा लगान की रसीद 0318785320 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 836 दिनांक 09.12.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खरीदगी भूमि है। आवेदक पंजी II रैयत स्वयं है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 8 के पृष्ट सं0 38 पर जमाबंदी दर्ज है।

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक

ही थाना मुरहू के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, मुरहू के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 1062 दिनांक 20.10.2023 के साथ अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0– JHCST/2023/142432 दिनांक 08.05.2023 एवं आवासीय प्रमाण पत्र सं0– JHLRCO/2023/298297 दिनांक 06.05.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदित भूमि की विक्री हेतु अनुशंसा किया हैं।

अतः अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 836 दिनांक 09.12.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती दीपेश रतन तिडू पिता/पति स्व0 बर्नाबास तिडू ग्राम–जिलिंगकेल, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती बली मुण्डा पिता/पति स्व0 मोको मुण्डा ग्राम–जिलिंगकेल, पो0–मैको, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी के साथ ग्राम कुंजला के खाता सं0 16, खेसरा संख्या 110, रकबा 0.06 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by ARVIND KUMAR OJHA
Date: 2024.01.19 13:17:50 +05:30
Location: 192.168.1.104